



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167450

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 30537 वर्ष 2025

सुरक्षित

भूप नारायण पाल और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : कीर्ति कुमार सिंह, मनोज कुमार, मोनू सिंह, प्रदीप कुमार पाल, प्रशांत कुमार निषाद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आशीष कुमार तिवारी, शासकीय अधिवक्ता, पवन कुमार, प्रभा शंकर मिश्र

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदकों की ओर से श्री प्रदीप कुमार पाल के साथ श्री मनोज कुमार, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से श्री पवन कुमार, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री ओ.पी. मिश्रा, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.एस.') की धारा 528 के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 29.07.2025, समन आदेश दिनांक 02.08.2025 तथा वाद संख्या 4725 सन् 2025 की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 205 सन् 2025 से उत्पन्न हुई है, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.एस.'), थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी के अंतर्गत, को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने आवेदकों एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 04.06.2025 को लगभग दोपहर 12:00 बजे, सूचनाकर्ता के पिता राम बाबू तिवारी की आवेदकों द्वारा जहर खिलाकर हत्या कर दी गई, जिसका कारण गांव के चुनाव की रंजिश थी। यह भी कहा गया कि अभियुक्त बाबू नारायण पाल वर्तमान में गांव का प्रधान है।

4. उक्त सूचना के आधार पर धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा जांच के दौरान यह पाया गया कि यह हत्या का मामला नहीं, बल्कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला है। इस संबंध में विवेचनाधिकारी ने मृतक का सुसाइड नोट एकत्र किया तथा अन्य साक्ष्य भी दर्ज किए। तत्पश्चात, सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 3(5), 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेते हुए आवेदकों तथा अन्य सह-अभियुक्तों को समन किया।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.05.2025 को 13:12 बजे सह-अभियुक्त जगेश्वर पाल ने सूचनाकर्ता के भाई धन्नू उर्फ सिद्धार्थ, पुत्र राम बाबू तिवारी उर्फ छोटका तिवारी के विरुद्ध धारा 65(2), 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 5(एम), 6 पॉक्सो अधिनियम के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत थाना सैनी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसकी पुत्री के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले में सूचनाकर्ता का सगा भाई जेल में है। तर्क दिया गया कि अपने पुत्र के शर्मनाक कृत्य के कारण मृतक ने जहर खा लिया और दिनांक 04.06.2025 को 12:00 बजे आत्महत्या कर ली। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों के परिवार से रंजिश के कारण तथा उपर्युक्त रूप से उल्लिखित पॉक्सो अधिनियम एवं बी.एन.एस. के अंतर्गत पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आधार पर सूचनाकर्ता ने प्रति-प्रतिक्रिया के रूप में आवेदकों तथा पूरे परिवार के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 1 कथित घटना की तारीख, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि संबंधित समय में वह व्यवसाय के उद्देश्य से पानीपत में रह रहा था, जो सी.सी.टी.वी. फुटेज तथा पानीपत में ए.टी.एम. कार्ड के माध्यम से धनराशि निकाले जाने से स्पष्ट है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतक के भाई अनिल कुमार तिवारी तथा मृतक के पुत्र धन्नू उर्फ सिद्धार्थ ने विवेचनाधिकारी के समक्ष विरोधाभासी बयान दिए हैं। अभियोजन की पूरी कहानी झूठी एवं मनगढ़ंत है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते और समन आदेश पारित करते समय कोई कारण अंकित नहीं किया और न ही अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया। अतः संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

7. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **पटेल बाबूभाई मनोहरदास और अन्य बनाम गुजरात राज्य**, क्रिमिनल अपील संख्या 1388 सन् 2014, निर्णय दिनांक 05.03.2025 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में आत्महत्या किए जाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से उकसाने वाले कृत्य/कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है। केवल उत्पीड़न का आरोप, जब तक कि अभियुक्त की ओर से घटना के समय के निकट कोई ऐसा सकारात्मक कृत्य न हो, जिसके कारण या जिससे बाध्य होकर मृतक ने आत्महत्या की हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध में दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि मृतक के सुसाइड नोट के अनुसार, आवेदकों ने उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया और यह आवेदक संख्या 1, जो वर्तमान में प्रधान है, ही था जिसने उपर्युक्त विवाद तथा गांव की रंजिश के कारण मृतक के पुत्र को झूठे मामले में झूठा फंसाया। यह तर्क दिया गया कि मृतक के पुत्र के विरुद्ध दर्ज मामले को धारा 351(3), 65(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि धारा 5(एम), 6 पॉक्सो अधिनियम को हटा दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचनाधिकारी द्वारा एकत्र की गई कॉल डिटेल रिपोर्ट (सी.डी.आर.) के अनुसार आवेदक घटना के क्षेत्र में उपस्थित थे और साक्ष्य में यह सामने आया है कि समान उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने अपराध कारित किया है। मृतक के शव से सुसाइड नोट बरामद किया गया था। रंजिश के कारण आवेदकों ने यह अपराध किया है। आवेदक संख्या 1 का आपराधिक इतिहास है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक संख्या 1 मुख्य अपराधी है और वह विचारण न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही से फरार है तथा उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एन.बी.डब्ल्यू.) जारी किया जा चुका है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है। आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंततः प्रस्तुत किया गया कि इस आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **अक्काम्मा सैम जैकब बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2026 आईएनएससी 362 एससी तथा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 (सप्लीमेंट) 1 एससीसी 335** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

10. दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के उपरांत, यह विवादित नहीं है कि प्रारंभ में धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और विवेचनाधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात धारा 108, 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदकों के अनुसार, मृतक ने अपने पुत्र के शर्मनाक कृत्य के कारण आत्महत्या की, जिसके संबंध में सह-अभियुक्त जगेश्वर पाल द्वारा उसके पुत्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इस प्रकार मृतक की मृत्यु में आवेदकों की कोई भूमिका नहीं थी। यह भी विवादित नहीं है कि इस घटना से पूर्व सह-अभियुक्त जगेश्वर पाल ने मृतक के पुत्र धन्नू उर्फ सिद्धार्थ के विरुद्ध बलात्कार, धमकी एवं छेड़छाड़ के संबंध में धारा 65(2), 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 5(एम), 6 पाँक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह भी विवादित नहीं है कि उस मामले में अभियुक्तों को जेल भेजा गया और उसके पश्चात मृतक ने आत्महत्या कर ली।

11. अभियोजन के अनुसार, आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया। इस संबंध में अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने मृतक के सुसाइड नोट तथा उसके पुत्र और अन्य साक्षियों के बयानों पर भरोसा किया है, जिनके समक्ष मृतक अपने पुत्र को झूठे मामले में जेल भेजे जाने के कारण रोया तथा उसने कहा कि आवेदक एवं अन्य व्यक्ति समझौता करने के लिए धन की मांग कर रहे थे, अन्यथा उसका पुत्र जेल में ही रहेगा और इसके पश्चात मृतक ने जहर खा लिया तथा आत्महत्या कर ली। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं थी तथा विसरा रिपोर्ट के अनुसार मृत शरीर में एल्युमिनियम फॉस्फेट पाया गया। प्रथम दृष्टया, सुसाइड नोट से यह प्रकट होता है कि आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों के कृत्य के कारण मृतक मानसिक पीड़ा में था और उसने कहा था कि वह आवेदकों के कृत्य के कारण आत्महत्या कर रहा है।

12. साक्ष्य, विशेष रूप से मृतक के सुसाइड नोट के साक्ष्यात्मक मूल्य का निर्धारण दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किया जाना है। आवेदकों द्वारा उठाए गए तथ्य के अन्य विवादित प्रश्नों के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है, जो वर्तमान कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। कथित रंजिश का प्रभाव, यदि कोई हो, भी ऐसा विषय है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। विवेचनाधिकारी द्वारा एकत्र किया गया साक्ष्य प्रथम दृष्टया आवेदकों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।

13. संज्ञान एवं समन आदेश के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात अपराध का संज्ञान लिया और तत्पश्चात आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों को समन किया। इस स्तर पर विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए विस्तृत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संज्ञान लेते तथा अभियुक्तों को समन करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया। आवेदकों द्वारा जिस न्यायिक दृष्टांत पर भरोसा किया गया है, वह मामले के वर्तमान चरण पर लागू नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होता, क्योंकि उक्त निर्णय अपील में दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध पारित किया गया था, जब पक्षकारों द्वारा अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका था।

14. अतः विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार विद्यमान नहीं है। यह आवेदन मेरिट-विहीन है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

11 अगस्त, 2026

सुभम